तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक प्रार्थी
श्री पवन सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 17.06.2022

निर्णय

यह निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण सं. 232 / 2001 में पारित निर्णय दिनांक 20–11–2001 के विरूद्ध नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इं.गां.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के तहत प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में कथन है कि चक 8 जे.एम. के मु.नं. 226 / 60 की 24.10 बीघा बारानी भूमि का आवंटन दिनांक 3–2–81 को प्रार्थी को किया गया था तथा प्रार्थी द्वारा प्रथम किश्त जमा कराने पर उसे विवादग्रस्त भूमि का अन्य मु.नं. 226 / 52 की 17.10 बीघा अनकमाण्ड भूमि के साथ आवंटन किया गया। प्रार्थी ने आवंटनशुदा भूमि की प्रथम किश्त के अलावा 3 और किश्तें जमा करा दी। इसके बाद प्रार्थी बीमार पड गया व अकाल पडने के कारण किश्ते जमा नहीं करवा सका जिसके कारण बिना प्रार्थी को नोटिस दिये व सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ ने आदेश दिनांक 30–3–99 द्वारा विवादग्रस्त आवंटन का रकबा मु.नं. 226 / 60 को खारिज कर दिया और रकबा राज दर्ज कर दिया। रकबा राज दर्ज होने के बाद विवादग्रस्त रकबा उपखण्ड अधिकारी ने मोहरबंद निविदायें आमंत्रित कर दिनांक 12–4–2001 को मु.नं. 226 / 60 की 24.10 बीघा अनकमाण्ड

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि का आवंटन अप्रार्थी ओमप्रकाश को विशेष आवंटन में कर दिया, जबकि विवादग्रस्त रकबा कभी भी विशेष आवंटन में नोटिफाइड नहीं किया गया। इस प्रकार निविदा के रूप में साधारण आवंटन की भूमि को विशेष आवंटन में आवंटित नहीं किया जा सकता। इसके विरूद्ध प्रार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 20–11–2001 द्वारा प्रार्थी की अपील को खारिज कर दिया। उनका तर्क है कि प्रार्थी के पक्ष में पुख्ता आवंटन दिनांक 3–2–81 को विचारण न्यायालय ने एकतरफा तौर पर बिना प्रार्थी को नोटिस दिये व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर अपने आदेश दिनांक 30–3–99 द्वारा किश्तों के अभाव में खारिज किया है, जिसका प्रार्थी को कोई ज्ञान नहीं था। जबकि किश्तों के अभाव में पुख्ता आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे में विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 30–3–99 विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय था जिस पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने कोई गौर न कर निगरानीधीन निर्णय पारित करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बकाया किश्तें जमा नहीं कराये जाने से उसके आवंटन को खारिज किये जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तदुपरान्त मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित कर विवादित भूमि का अप्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार आवंटन किया गया है। प्रार्थी व्यथित पक्षकार नहीं है, ऐसे में अप्रार्थी को किये गये आवंटन के विरूद्ध प्रार्थी को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी की अपील को सही रूप से खारिज किया है। अतः निगरानी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सारहीन होने से खारिज की जावे। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा बकाया किश्ते जमा नहीं कराये जाने से मु.नं. 226 / 60 रकबा 24.10बीघा भूमि के आवंटन को निरस्त कर आराजी रकबा राज दर्ज की गई एवं गजट में प्रकाशित होने के पश्चात मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित कर उक्त आराजी का अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 12–4–2001 को नियमानुसार आवंटन कर दिया गया। उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 20–11–2001 द्वारा अस्वीकार कर दिया, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। हम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से पूर्णतया सहमत हैं एवं उसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। अतः यह निगरानी खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–11–2001 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	